

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.11(1)(92)खान/ग्रुप-2/2017

जयपुर, दिनांक- 31.05.2017

—: संशोधन आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 की सारणी के क्रम संख्या 1 की कॉलम संख्या 4 में अंकित "अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), बीकानेर" के स्थान पर "अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), बीकानेर के पद विरुद्ध" पढा जावे ।

आज्ञा से,

31/05/17

(नसीरुद्दीन कुरैशी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खनिज राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करावें ।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर ।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग (सतर्कता), बीकानेर/अ.ख.अ.भरतपुर ।
7. खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली ।
8. श्री जाकिर हुसैन शेख, खनि अभियन्ता, मार्फत अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ।
9. व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

31/05/17

वरिष्ठ शासन उप सचिव